



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 चैत्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 477) पटना, बृहस्पतिवार, 16 अप्रील 2015

सं0 बी०सी०डब्लू०सी०-76/2011 श्र0सं0-52

श्रम संसाधन विभाग

संकल्प

4 फरवरी 2015

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-4 एवं बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 10 में अन्तर्निहित प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार को परामर्श देने एवं कार्यकलापों के प्रशासन हेतु बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण राज्य सलाहकार समिति का पुनर्गठन निम्न रूप से किया जाता है :-

1. सचिव, श्रम संसाधन विभाग पदेन अध्यक्ष
2. श्री दुर्गा प्रसाद सिंह,  
माननीय स०वि०स०, बिहार विधान-सभा  
134, उजियारपुर । सदस्य
3. श्री बाल्मीकि सिंह,  
स०वि०प०, बिहार विधान परिषद सदस्य
4. श्रमायुक्त, बिहार पदेन सदस्य
5. भवन निर्माण विभाग से नामित मुख्य अभियंता  
कोटि के पदाधिकारी, जिन्हें 'मुख्य निरीक्षक' की शक्तियाँ  
प्रदान की जायेगी तथा 'मुख्य निरीक्षक' के नाम से जाना जायेगा पदेन सदस्य
6. मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना पदेन सदस्य
7. केन्द्र सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि सदस्य
8. राज्य सरकार द्वारा दुर्घटना बीमा संस्था के नामित एक प्रतिनिधि सदस्य
9. वास्तुविद या इंजीनियर के राज्य स्तर के संगठन के नामित प्रतिनिधि सदस्य
10. श्री प्रमोद कुमार पदेन सदस्य  
युनाइटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर (AIUTUC)  
बिहार राज्य कमिटी, मेनका मार्केट  
प्रथम तल्ला, नाला रोड, पटना

11.	श्री अघनू यादव, प्रदेश महामंत्री, हिन्द मजदूर सभा, बिहार कैम्प कार्यालय, ग्रा0+पो0-सकरी, जिला- मधुबनी	सदस्य
12.	श्री चन्द्र प्रकाश सिंह, अध्यक्ष, राष्ट्रीय मजदूर कॉंग्रेस (इंटक) रोड नं०-3 राजीवनगर, पटना	सदस्य
13.	महिला प्रतिनिधि (भवन निर्माण कामगार के प्रतिनिधि )	सदस्य
<b>नियोजक के प्रतिनिधि</b>		
14.	श्री आर०एल० खेतान, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसियेशन, या नामित प्रतिनिधि	सदस्य
15.	श्री नरेन्द्र कुमार ठाकुर, बिल्डर्स एसोसियेशन या नामित प्रतिनिधि	सदस्य
16.	बिहार राज्य हाउसिंग बोर्ड के नामित सदस्य	सदस्य
17.	नगर विकास विभाग के नामित प्रतिनिधि	सदस्य
क्रमांक- 13 को नामित करने की अधिसूचना अलग से निर्गत की जायेगी ।		

#### अन्यान्य

राज्य सलाहकार समिति का मुख्यालय श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना में अवस्थित होगा ।

राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों की पदावधि, त्यागपत्र, सदस्य का समाप्त होना, सदस्य के लिए निर्हरता, सदस्यता से हटाया जाना, रिक्तियाँ भरने की स्थिति, राज्य सलाहकार समिति के कर्मचारी वृन्द, सदस्यों के भत्ते, कारबार का निबटारा, बैठक की गणपूर्ति इत्यादि से संबंधित कार्य बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम-10 से 22 तक विनिर्दिष्ट के आलोक में सम्पन्न किए जायेंगे ।

2. पदेन सदस्यों को छोड़कर कंडिका (2) नियम 10 के खण्ड-“ख” एवं “ग” में निर्दिष्ट प्रत्येक सदस्य तीन वर्ष के लिए या यथा स्थिति विधान-सभा/विधान परिषद् का जबतक सदस्य रहता है, इसमें जो पूर्वतर हो, पद धारण करेगा ।

3. राज्य सलाहकार समिति के गैर सदस्यों को बिहार भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005 के नियम 18 (2) एवं बिहार यात्रा भत्ता नियमावली, 1949 के नियम 144 (1) यथा संशोधित, के अधीन सरकारी ने निर्णय लिया है कि समिति के सभी गैर सरकार सदस्य जो उस स्थान के नहीं हो, जहाँ बैठक हो रही है, यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ पी०बी०-2 ग्रेड पे- 5400/- रुपये के वेतन के प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी माने जायेंगे तथा यात्रा भत्ता निम्न प्रकार से नियमानुसार देय होगा -

1. ट्रेन भत्ता - ए०सी० 2टीयर
2. सड़क भत्ता - गैर ए०सी० टैक्सी
3. दैनिक भत्ता (वी०-1 शहर के लिए) सामान्य - रू० 1500.00 प्रतिदिन
- (i) होटल में आवास -रू० 1500.00
- (ii) शहर में यात्रा भत्ता- रू० 150.00 प्रतिदिन
- (iii) खाना इत्यादि - रू० 200.00 प्रतिदिन अधिकतम

सदस्यों को यह भत्ता या विरामभत्ता उसी दशा में मिलेगा जब वे प्रमाणित करेंगे कि उन्होंने यात्रा या विरामभत्ता के लिए जो दावा किया है, इसके संबंध में उन्होंने किसी दूसरे श्रोत से कोई यात्रा या विरामभत्ता नहीं लिया है ।

(iv) रेल या बस से जुड़े स्थानों के लिए टैक्सी या निजी गाड़ी से की गयी यात्रा के लिए भत्ता सदस्यों के लिए अनुमान्य नहीं होगा ।

(v) समिति के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता विपत्रों को श्रमायुक्त, बिहार के द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करने के उपरान्त विपत्र में अंकित राशि का भुगतान किया जायेगा ।

#### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति को राजपत्र के गजट में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि अध्यक्ष तथा सदस्यों को भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
देवनन्दन यादव,  
सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 477-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>